न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 472/2022 | दायर दिनांक 05.12.2022 | निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

रतन लाल भील पिता हीरा लाल भील जाति भील आयु 46 वर्ष निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन
अधिवक्ता प्रार्थी कन्हैया लाल सेन

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: **निर्णय** :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 212, 213, 385, 387, 388, 395 से लगायत 400, 629, 630 कुल किता 13 कुल रकबा 3.9707 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रतन के बजाय रत्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि रतन को बोल चाल की भाषा में रत्ता कहते थे। किंतु प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, जनआधार कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम रतन लाल भील दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज रत्ता के बजाय रतन लाल नाम दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम गुन्दली के आराजी नम्बर 212, 213, 385, 387, 388, 395 से लगायत 400, 629, 630 कुल किता 13 कुल रकबा 3.9707 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में प्रार्थी का नाम रत्ता पुत्र हीरा भील दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा स्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम रत्ता पुत्र हीरा भील के बजाय रतन लाल पुत्र ीरा भील नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया कर ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला ीवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 212, 213, 385, 387, 388, 5 से लगायत 400, 629, 630 कुल किता 13 कुल रकबा 3.9707 हैक्टेयर भूमि की माबन्दी में अंकित रत्ता पुत्र हीरा भील के बजाय रतन लाल पुत्र हीरा भील नाम परिवर्तन ने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ ीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आ[illegible] सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा